प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3351 सन् 2010

याचिकाकर्तागण : द्वारका राम एवं अन्य।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

निर्णय एवं आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3351 सन् 2010</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u> : द्वारका राम एवं अन्य।

विरुद्ध

<u>उत्तरवादीगण</u> : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका</u>

<u>एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश</u>

उपस्थित :
श्री ए.के. प्रसाद, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं की ओर से।
श्री ए.वी. श्रीधर, पैनल अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादियों की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

(दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को उद्घोषित)

1. याचिकाकर्तागण, जो स्वयं को अस्थायी आदेशिका वाहक होने का दावा करते हैं, उत्तरवादियों को यह निर्देश देने की प्रार्थना करते हैं कि दिनांक 08.03.2010 (अनुलग्नक पी/5) के आदेश के अनुसरण में, जिसके द्वारा चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न जिलों में नियुक्ति हेतु राज्य शासन द्वारा अनेक पद स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें नियमित भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाए। यह भी प्रार्थना की गई है कि अस्थायी पदों पर कार्य करने के उनके अनुभव के आधार पर नियमित भृत्य के पद पर नियुक्ति में याचिकाकर्ताओं को वरीयता प्रदान की जाए। दिनांक 24.08.2011 के आदेश द्वारा संशोधन के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को दिनांक 16.03.2011 (अनुलग्नक पी/12) के आदेश को चुनौती देने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 41 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है।

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को प्रारंभ में दिनांक 25.03.2010 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश द्वारा दिनांक 30.06.2010 तक छह माह की अवधि के लिए अस्थायी आदेशिका वाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व भी उन्हें वर्ष 2007 एवं 2009 में छह माह की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1998, 2000 एवं 2001 में भी छह माह की अवधि के लिए अस्थायी आदेशिका वाहक के रूप में कार्य किया है। दिनांक 08.03.2010 के

आदेश द्वारा जिला सरगुजा में चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति हेतु 42 पद स्वीकृत किए गए थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार स्वीकृत पद आदेशिका वाहक के पद पर नियुक्ति हेतु थे। तत्पश्चात याचिकाकर्ताओं द्वारा कलेक्टर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, दिनांक निरंक (अनुलग्नक पी/6), जो दिनांक 08.06.2010 को प्राप्त हुआ।

3. याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि भृत्य के पद पर नियुक्ति एवं भर्ती छत्तीसगढ़ राज्य राजस्व (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता पाँचवीं कक्षा है तथा नियुक्ति 100% सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है। कलेक्टर द्वारा न तो कोई भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई और विभिन्न विभागों के समन्वय से नियुक्ति करने से पूर्व न ही विधि के प्रावधानों का पालन किया गया। याचिकाकर्ता विधिवत अर्हताधारी हैं तथा उन्होंने दीर्घ अवधि तक, अर्थात प्रत्येक वर्ष छह माह के लिए, अस्थायी आदेशिका वाहक के रूप में कार्य किया है। कलेक्टर द्वारा दिनांक 30.10.2010 (अनुलग्नक पी/9) के विज्ञापन द्वारा स्टेनो-टाइपिस्ट, सहायक श्रेणी-**III** एवं वाहन चालक के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए, किन्तु चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए।

4. श्री ए.के. प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क प्रस्तुत किया कि नियमित भृत्य के 42 पदों पर नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा चूँकि याचिकाकर्ता दीर्घ अवधि से अस्थायी आदेशिका वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं, अतः नियुक्ति में याचिकाकर्ताओं को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, श्री ए.वी. श्रीधर, विद्वान पैनल अधिवक्ता, ने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका में अनेक वाद कारण उठाये गए है, क्योंकि याचिकाकर्ता अपने अस्थायी नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं तथा साथ ही दिनांक 30.11.2010 (अनुलग्नक पी/10) के विज्ञापन, जो सहायक श्रेणी-**III** के पद पर नियुक्ति हेतु है, को भी चुनौती दे रहे हैं। अतः इस कारण से, चूँकि विधि सुस्थापित है कि एक ही याचिका में अनेक वाद कारण को नहीं जोडा जा सकता इसीलिए, यह याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। श्री श्रीधर यह भी तर्क किया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति अस्थायी आधार पर किसी विशिष्ट कार्य हेतु वर्ष में लगभग छह माह के लिए की गई थी। उनकी नियुक्ति नियमित नहीं थी बल्कि शासनंतरण के लिए थी तथा याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण अथवा निरंतरता का कोई अधिकार अर्जित नहीं किया है, क्योंकि उनकी नियुक्ति विधि के अनुसार नहीं थी। अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिनांक 08.03.2010 के आदेश द्वारा पद स्वीकृति के पश्चात विधि के अनुसार की गई। उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 29.04.2010 को उप संचालक, रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सरगुजा को सभी श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उप संचालक द्वारा दिनांक 03.06.2010 (अनुलग्नक आर/2) के पत्राचार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 295 अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित की गई। तत्पश्चात विधिवत गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया गया। उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर एक चयन सूची

(अनुलग्नक आर/3) प्रकाशित की गई। उप संचालक, रोजगार द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार याचिकाकर्ता विचार क्षेत्र में नहीं थे। अतः उन्हें पद पर भर्ती हेतु विचार नहीं किया गया। जहाँ तक याचिकाकर्ताओं को वरीयता प्रदान करने का प्रश्न है, सूची (अनुलग्नक आर/3) में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों को भी विभिन्न विभागों में कार्य करने का समान अनुभव था। स्टेनो-टाइपिस्ट, सहायक श्रेणी-**III** एवं वाहन चालकों की भर्ती के संबंध में दिनांक 30.11.20210 का विज्ञापन अन्य रिट याचिका अर्थात् रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7376/2010 का विषय है तथा वह विचाराधीन है। उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा दायर शपथपत्र के आधार पर, अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2010 को पारित आदेश के अनुपालन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता रोजगार कार्यालय में पंजीयन की पूर्व-शर्त पूर्ण नहीं करते थे, अतः चयन हेतु उनके नाम उनके नाम पर विचार नहीं किया गया।

6. यह निर्विवाद है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2010 को पारित अंतरिम आदेश में यह अभिव्यक्त किया गया था कि कोई भी नियुक्ति इस याचिका के निर्णय के अधीन होगी। तथापि, जब 51 अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया, तब रोजगार कार्यालय में पंजीयन के अभाव में याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा चयन हेतु आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया, केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 29.11.2010 को याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई स्वतंत्रता के पश्चात किया गया। किन्तु तत्पश्चात, दिनांक 24.08.2011 की आदेश-पत्रिका में अभिव्यक्त अनुसार यह पाया गया कि भृत्य के पद पर अनेक व्यक्तियों की नियुक्ति की जा चुकी है। अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात उन्हें विवाद में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दिनांक 08.03.2010 (अनुलग्नक पी/5) के आदेश का अवलोकन करने पर, जिसके द्वारा चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत 42 पदों पर नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी, यह अभिलिखित किया गया कि नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों तथा समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए।

8. राज्य/उत्तरवादीगण द्वारा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.05.1998 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश ***आबकारी अधीक्षक, मलकापटनम कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश विरुद्ध के.बी.एन. विश्वेश्वर राव एवं अन्य*** [1]के आलोक में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिव्यक्त किया गया है :

> **"**आवश्यकता प्रेषित करने वाले प्राधिकारी/संस्थान के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह रोजगार कार्यालय को सूचित करे तथा रोजगार कार्यालय आवश्यकता के अनुसार, वरिष्ठता एवं आरक्षण के अनुसार, चयन हेतु अभ्यर्थियों के

[1] 1996(6) SCALE 676

नाम आवश्यकता प्रेषित करने वाले विभागों को प्रेषित करे। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग अथवा उपक्रम अथवा संस्थान को व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा भी नाम आमंत्रित करने चाहिए तथा अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करना चाहिए अथवा रेडियो, टेलीविजन तथा रोजगार समाचार बुलेटिन में घोषणा करनी चाहिए और तत्पश्चात आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के प्रकरणों पर विचार करना चाहिए।"

9. वर्तमान प्रकरण में यह निर्विवाद स्थिति है कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को, जिनके नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत थे, चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। उपर्युक्त पद के संबंध में किसी समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया गया था।

10. उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण के नाम रोजगार कार्यालय द्वारा अनुशंसित नहीं किए गए थे, जबकि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नामों को ही आमंत्रित करना एक शर्त थी। अन्य पदों पर चयन के लिए भी दिनांक 30.11.2010 के विज्ञापन में यह प्रावधान था कि अभ्यर्थी का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अतः याचिकाकर्तागण के प्रकरण पर इस आधार पर विचार नहीं किया जा सकता था कि उनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्तागण ने चपरासी के पद पर नियुक्त सफल अभ्यर्थियों को आवश्यक पक्षकार के रूप में भी पक्षकार नहीं बनाया है। अतः आवश्यक पक्षकारों, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते, को पक्षकार न बनाए जाने के कारण भी यह याचिका पोषणीय नहीं है।

12. सर्वोच्च न्यायालय ने ***गिरजेश श्रीवास्तव एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य*** [2]के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

"20. अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया अगला बिंदु, कि उन्हें दोनों याचिकाओं में कभी भी पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उनके आजीविका पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, भी विवाद के मूल में जाता है, क्योंकि यह **"दूसरे पक्ष को भी सुनो"** के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

21. इस न्यायालय ने *प्रबोध वर्मा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य* के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया : (एस.सी.सी पृष्ठ 273, कंडिका 28)

"28. ... उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन किसी रिट याचिका का निर्णय उन व्यक्तियों को उत्तरवादी के रूप में सम्मिलित किए बिना नहीं करना चाहिए, जो उसके निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे...."

---

[2] (2010)10 SCC 707

22. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने *रामराव विरुद्ध अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग बैंक कर्मचारी कल्याण संघ*[7] के प्रकरण में, एस.सी.सी पृष्ठ 86-87 पर निम्नानुसार कहा है : (एस.सी.सी कंडिका 27)

> **"**27. ... किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे पक्षकार बनाए बिना और इस प्रकार उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया आदेश विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण माना जाएगा। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आक्षेपित निर्देश के परिणामस्वरूप वर्तमान प्रकरण के अपीलार्थीगणो के उनके पक्ष में पारित पदोन्नति आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था, ऐसे में निर्विवाद रूप से वे आवश्यक पक्षकार थे। अतः उनकी अनुपस्थिति में रिट याचिका का प्रभावी रूप से न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता था।**"**

23. इसी प्रकार *बी. रमांजिनी विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य* के प्रकरण में, जहाँ कुछ शिक्षकों के चयन को उन्हें पक्षकार बनाए बिना चुनौती दी गई थी, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया : (एस.सी.सी पृष्ठ 542-43, कंडिका 19)

> "19. चयन प्रक्रिया बहुत पूर्व, अर्थात् वर्ष 1998 में प्रारंभ हुई थी और पूर्ण हो चुकी थी। चयनित व्यक्तियों को चयन के अनुसार नियुक्त किया गया था और वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। तथापि, चयनित अभ्यर्थियों को कार्यवाही में न तो उनकी व्यक्तिगत क्षमता में और न ही किसी प्रतिनिधिक क्षमता में पक्षकार बनाया गया था। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय को उसके समक्ष प्रारंभ की गई कार्यवाही में उठाए गए किसी भी प्रश्न का परीक्षण नहीं करना चाहिए था। संबंधित उत्तरवादियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाएँ ख़ारिज की जानी चाहिए थीं, जो लगभग जनहित याचिकाओं की प्रकृति के हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. प्रकरण के वर्तमान तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, याचिका गुण-दोष से रहित पाए जाने के कारण, तदनुसार खारिज की जाती है।

14. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Shraddha Raj Jyotishi